इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 346] भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 4505-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अगस्त 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१४

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४

[दिनांक 5 अगस्त, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ अगस्त, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१४ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (१) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक क्षेत्र में, अधिकतम पचासी वार्ड हो सकेंगे"

निरसन और व्यावृत्ति ३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन. ४. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ५५ में, उपधारा (१) में, शब्द "एक मास" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित किए जाएं.

(२) धारा ८६ में, उपधारा (१), (२) और (४) के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार, परिषद् के लिए धारा ८७ या ८८ के अधीन अधिकारियों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से, राज्य के लिए निम्नलिखित नगरपालिक सेवाओं का विहित रीति में गठन कर सकेगी जो,—

(क) राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा;
(ख) राज्य नगरीय स्वच्छता सेवा;
(ग) राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा;
(घ) राज्य नगरीय वित्त सेवा;
(ङ) राज्य नगरीय राजस्व सेवा;

कहलाएंगी.

(२) राज्य सरकार, उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के लिए, भरती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान तथा भत्ते चाहे वे किसी नाम से जाने जाते हों, के संबंध में नियम बना सकेगी; और ऋण, पेंशन, अवकाश, उपदान, वार्षिकी, कारुण्य निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, सेवा से हटाने, आचरण, विभागीय दण्ड, अपीलें तथा अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, शासकीय सेवकों को लागू होने वाले, समय-समय पर यथासंशोधित नियम, राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्य को लागू होंगे.

(४) राज्य सरकार, राज्य नगरपालिक सेवाओं के किसी भी सदस्य को एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में स्थानांतरित कर सकेगी.

(३) धारा ८७ में, उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) परिषद् का मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

(४) धारा ८८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

राज्य की नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति.

"८८. प्रत्येक परिषद् में, धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन नगरपालिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार, उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए की जाएगी."

(५) धारा ८९ में, उपधारा (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं अर्थात् :—

"(१) धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिका सेवा का गठन होने तक या जब ऐसी सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो तो, राज्य सरकार, ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या उसी श्रेणी के किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी सेवा का सदस्य होने के लिए अर्ह हो.

(२) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या यदि परिषद् के किसी विशेष सम्मिलन में, आधे से अधिक निर्वाचित पार्षद उस प्रभाव के संकल्प के पक्ष में मत दें, तो राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की सेवाएं, जो कि उपधारा (१) के अधीन परिषद् में प्रतिनियुक्त किया गया हो, वापस ले सकेगी.".

(६) धारा ९० में,—

(एक) उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.";

(दो) उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु इस प्रकार अभिनियोजित व्यक्ति उसी श्रेणी की नगरपालिक परिषद् के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के तत्समान वेतनमान का होना चाहिए.".

(७) धारा ९१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अधिकारी या इंजीनियर के छुट्टी पर रहने की अवधि में व्यवस्था.

"९१. धारा ९० के उपबंध अन्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों के छुट्टी पर रहने के दौरान व्यवस्था करने के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी के मामले में लागू होते हैं.".

(८) धारा ९४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

कर्मचारीवृंद की नियुक्ति.

"९४. (१) प्रत्येक परिषद्, धारा ९५ के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए तथा धारा ८६ की उपधारा (१) के अधीन राज्य नगरपालिक सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति के अतिरिक्त, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार उसके कर्तव्यों के सुचारू रूप से पालन के लिए आवश्यक तथा उचित हों.

(२) परिषद् ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी कि राज्य सरकार इस संबंध में अनुमोदित करे, अस्थायी स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त कर सकेगी.

(३) राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक और लेखापाल की नियुक्ति राज्य सरकार की पुष्टि के अध्यधीन होगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे किसी भी पद का या अन्य किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पद का जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, सृजन नहीं किया जाएगा या उसे समाप्त नहीं किया जाएगा और उनकी उपलब्धियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा ऐसे पद पर की जाने वाली प्रत्येक नियुक्ति और उससे पदच्युति इसी प्रकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी.

(४) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को एक मास से अधिक कालावधि का निलंबन आदेश नहीं दिया जाएगा और ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(५) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, उपधारा (३) में वर्णित या उसके अधीन विनिर्दिष्ट नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों के अतिरिक्त अन्य नगरपालिक अधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल में निहित होगी.

(६) राज्य सरकार, उपधारा (१) और (२) में वर्णित परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक को, उसी श्रेणी की किसी अन्य परिषद् में स्थानान्तरित कर सकेगी.

(७) राज्य सरकार उन अधिकारियों तथा सेवकों के वर्ग या श्रेणियां विहित कर सकेगी जिन्हें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, विहित प्राधिकारी या इस संबंध में सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा जिसमें निन्दा के अतिरिक्त अन्य कोई विभागीय दण्ड दिया गया हो.

(८) उपधारा (७) के अधीन की गई अपील की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को उस दण्ड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, रद्द करने या कम करने की शक्ति होगी.

(९) प्रेसीडेंट-इन-काउन्सिल, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों को विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए संविदा पर नियुक्त कर सकेगा और ऐसे विषय विशेषज्ञों और कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति की रीति तथा निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं.".

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. 4506-204-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 12 OF 2014

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2014

[Received the assent of the Governor on the 5th August, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2014.]

An act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014.

PART I
AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (NO. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in the proviso to sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that a municipal area having population of more than ten lakh, may have maximum eighty five wards.".

Repeal and saving.

3. (1) The Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2014 (No. 1 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961

4. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),—

(1) In section 55, in sub-section (1), for the words "one month", the words "fifteen days" shall be substituted.

(2) In section 86, for sub-sections (1), (2) and (4), the following sub-sections shall respectively be substituted, namely:—

"(1) The State Government may, for the purpose of providing officers to the Council under section 87 or 88, constitute in the prescribed manner, the following Municipal Services of the State to be called,

(a) State Urban Administrative Service;
(b) State Urban Sanitation Service;
(c) State Urban Engineering Service;
(d) State Urban Finance Service;
(e) State Urban Revenue Service.

(2) The State Government may make rules for the members of the Municipal Services of the State under sub-section (1), in respect of recruitment, qualification, appointment, promotion, scale of pay and allowances by whatever name called; and the rules as amended from time to time applicable to the Government servants in respect of loans, pension, leave, gratuity, annuity, compassionate fund, provident fund, dismissal, removal, conduct, departmental punishment, appeals and other conditions of service shall be applicable to be members of the municipal services of the State.

(4) The State Government may transfer any member of the Municipal Services of the State from one Municipality to another Municipality.".

(3) In section 87, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) The Chief Municipal Officer of a Council shall be a member of the State Urban Administrative Service and shall be appointed by the State Government.".

(4) For section 88, the following section shall be substituted, namely:—

Appointment of members of Municipal Services of the State

"88. In every Council members of the Municipal Services of the State under sub-section (1) of section 86 shall be appointed for the efficient discharge of its duties, as per norms specified from time to time by the State Government.".

(5) In section 89, for sub-section (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Pending the constitution of any Municipal Service of the State under sub-section (1) of section 86 or when no member of such service is available for appointment, the State Government may depute an officer of the Government or appoint any person of same class qualified to be a member of such service to act as such member.

(2) The State Government may, on its own motion or if at a special meeting of the Council more than one-half of the elected Councillors vote in favour of a resolution to that effect, withdraw the services of any officer of the State Government who has been deputed to the Council under sub-section (1).".

(6) In section 90,—

(i) in sub-section (2), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the person so appointed should be in the pay scale of Chief Municipal Officer corresponding to that category of Municipal Council.";

(ii) in sub-section (3), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :

"Provided that the person so deployed should be in the pay scale of Chief Municipal Officer corresponding to that category of Municipal Council.".

(7) For Section 91, the following section shall be substituted, namely:—

Arrangement during leave of absence of Officer or Engineer.

"**91.** The provisions of section 90 shall apply for arrangement during leave of absence in case of member of other municipal services, as they apply in the case of a Chief Municipal Officer.".

(8) For Section 94, the following section shall be substituted, namely:—

Appointment of staff.

"**94.(1)** Every Council shall, subject to rules framed under Section 95 and in addition to the appointment of members of the Municipal Services of the State under sub-section (1) of section 86, appoint such other officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties, as per the norms specified from time to time by the State Government.

(2) A Council may appoint a temporary Health Officer on such terms and conditions as the State Government may approve in this behalf.

(3) The appointment of Revenue Officer, Revenue Inspector, Office Superintendent and Accountant shall be subject to confirmation by the State Government and no such post or the post of any other officer or servant as may be specified by the State Government in this behalf shall be created or abolished and no alteration in the emoluments thereof shall be made without the prior approval of the State Government, and every appointment to and dismissal from such post, shall be subject to a like approval.

(4) No order of suspension for a period exceeding one month shall be passed against any officer mentioned in or specified under sub-section (3) and no resignation tendered by any such officer shall be accepted without prior approval of the State Government.

(5) Unless the State Government otherwise directs, the power of appointing Municipal Officers and servants other than those mentioned in or specified under sub-section (3), shall vest in the President-in-Council.

(6) The State Government may transfer any officer or servant of a Council mentioned in sub-section (1) and (2) to any other Council of same category.

(7) The State Government may prescribe the classes or grades of officer and servants who shall have the right to appeal from any decision of the Chief Municipal Officer, the President-in-Council, the prescribed authority or any other authority empowered in this behalf, inflicting any departmental punishment other than censure.

(8) The authority hearing an appeal made under sub-section (7) shall have power to set aside or reduce the punishment against which the appeal is preferred.

(9) The President-in-Council may, with prior permission of the State Government, appoint subject specialists and personnel on contract for specified period and the manner and terms and conditions of appointment of such specialists and personnel on contract shall be such as may be prescribed by the State Government.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.